बॉयो गैस तकनीकी द्वारा उ0प्र0 के नगर निकायों में पशुवधशाला, सीवर तथा अन्य सड़ने गलने वाले पदार्थो को ट्रीटमेन्ट करके मिथेन गैस बनाए जाने की तकनीकी का इण्टरनेशनल बायोगैस, इंटरप्राइजेज, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के समक्ष दिनांक 22.11.2012 को किए गए प्रस्तुतीकरण का कार्यवृत्त ।

<u>उपस्थिति :</u>

सर्वश्री-

1- श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
2- हीरा लाल, संयुक्त निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- पी. के. श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
4- पी.के. सिन्हा, मुख्य अभियन्ता (नागर), उ.प्र.जल निगम, लखनऊ।
5- रमेश सिंह, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उ.प्र.जल निगम, लखनऊ।
6- मो0 इमरान, मुख्य बायो गैस विशेषज्ञ, इण्टरनेशनल बायोगैस इंटरप्राइजेज, लखनऊ।
7- मो0 रेहान, बायो गैस विशेषज्ञ, इण्टरनेशनल बायोगैस इंटरप्राइजेज, लखनऊ।
8- अदनान तुर्क, बायो गैस विशेषज्ञ, इण्टरनेशनल बायोगैस इंटरप्राइजेज, लखनऊ।

इण्टरनेशनल बायो गैस इण्टरप्राइजेज, लखनऊ द्वारा बायोगैस की तकनीकी द्वारा शहरों, ग्रामों एवं कस्बों में पशुबधशालाओं/सीवर व सीवर लाइनों/सामुदायिक शौचालयों एवं सभी प्रकार के सड़ने गलने वाले द्रव्य व ठोस पदार्थो के ट्रीटमेंट एवं बायोगैस संयंत्रों के निर्माण हेतु प्रस्तुतीकरण किया गया। अवगत कराया गया है कि इनके द्वारा वर्ष 1979 से विविध क्षमताओं के बायोगैस संयंत्रों का निर्माण देश एवं विदेश में कराया गया है, जिससे पुरानी प्रचलित पद्वति से कम धन व्यय होता है। नदियों, तालाबों एवं नालों में द्रव्य व ठोस पदार्थो को बहने से रोका जाता है तथा 95 प्रतिशत प्रदूषण समाप्त होता है व जैविक उत्तम खाद्य प्राप्त होती है।

2- अवगत कराया गया है कि इनकी तकनीक द्वारा वर्ष 1998 में मशालची टोला लखनऊ में बायोगैस संयंत्र को स्थापित कर यह सिद्व कर दिया है कि शहरों एवं कस्बों में छोटे बजट से स्थायी एवं टिकाऊ सीवर लाइन डालकर सीवर एवं सीवेज वेस्ट बायोगैस संयंत्र का निर्माण कर नई एवं मलिन बस्तियों को भी प्रदूषण से मुक्त रखा जा सकता है। वर्ष 2007 में फूलों एवं गोबर पर आधारित बायोगैस संयंत्र का निर्माण श्री बालकेश्वर हनुमान मन्दिर, निराला नगर में कराया गया था।

3- यह भी अवगत कराना है कि कि निदेशक स्थानीय निकाय ने अपने पत्र दिनांक 20.02.2009 द्वारा स्पष्ट किया है कि संस्था द्वारा बायोगैस तकनीक से बायोडिग्रेवेल वेस्ट को ट्रीटमेंट हेतु छोटी निकायों तथा हाउसिंग सोसायटी, स्लाटर्स हाउस जहॉ पर ट्रंक सीवर मौजूद नहीं है तथा नई सीवर लाइन बिछाने का व्यय अधिक है, में यह तकनीक बहुत प्रभावी है तथा कास्ट इफेक्टिव प्रतीत होती है। संस्था द्वारा प्राप्त होने वाले बाई प्रोडक्टस से वैकल्पिक उर्जा तथा जैविक खाद प्राप्त होती है जिसका उपयोग जनहित में किया जा सकता है। संस्था द्वारा स्थापित संयंत्र की टेक्नीकल फिजिबिल्टी, आपेरेटिंग मैकेनिज्म सेफ्टीमेकेनिज्म तथा बाईप्रोडक्ट मेकेनिज्म (मिथेन गैस) प्रदूषण/इकोफ्रैण्डली बिन्दुओं पर संबंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने की दशा में इसका उपयोग प्रदेश में नगर निकायों में वैकल्पिक सीवरेज ट्रीटमेंट के स्थान पर किया जा सकता है, जिससे एस.टी.पी. पर आने वाले व्यय की बचत होगी।

4- उक्त प्रस्तुतीकरण के पश्चात् प्रकरण में निम्नवत् विचार-विमर्श हुआ तथा निर्णय लिए गए-

(1) इस तकनीक का प्रयोग असेवित क्षेत्रों, बारात घर, डेरी आदि में किया जा सकता है जहॉ पर बड़ी परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा हो तथा जो जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के

यूआईजी एवं यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं से आच्छादित न हो। इसे प्रदेश की नगर पंचायतों में क्रियान्वित करने पर विचार किया जा सकता है।

(2) तकनीक का लाभ बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी के अन्तर्गत बनने वाले मकानों के छोटे-छोटे समूह में भी किया जा सकता है।

(3) इस तकनीक का प्रयोग करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था/फण्डिंग पैटर्न के सम्बन्ध में मत स्थिर हुआ कि इसका फण्डिंग पैटर्न 90:10 रखा जा सकता है। अर्थात् 90 प्रतिशत अंश भारत सरकार (यदि संभव हो) अथवा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाय तथा 10 प्रतिशत अंश सम्बन्धित कम्यूनिटी/सोसायटी/लाभार्थी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा वहन किया जाय। भारत सरकार से वित्त पोषण के सम्बन्ध में सभी संभव प्रयास किया जाय तथा इस हेतु श्री हीरा लाल, संयुक्त निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सभी संभावनाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना भी निर्णीत हुआ।

(4) मत स्थिर हुआ कि इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था सम्बन्धित कम्यूनिटी/सोसायटी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा की जाएगी।

(5) कुल लगभग 20 घरों के समूह को लेते हुए कार्यदायी संस्था की 10 प्रतिशत प्रत्याभूति की राशि जमा करने पर योजना का क्रियान्वयन किया जा सकता है।

(6) इस योजना से लाभान्वित होने वाले घरों से निश्चित धनराशि सेवा के बदले ली जा सकती है।

(7) ओ. एण्ड एम. पर आने वाले व्यय को भी सम्बन्धित कम्यूनिटी/सोसायटी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा लाभार्थियों से सामानुपातिक रूप में लिया जा सकता है।

(8) इस योजना के स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन हेतु एक प्रबंध समिति के गठन पर भी विचार किया जा सकता है जिसके सदस्य कम्यूनिटी/सोसायटी अथवा स्थानीय निकाय से चुने जा सकते हैं।

(9) यह भी निर्णीत हुआ कि श्री पी. के. श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ संस्था द्वारा क्रियान्वित की जा रहा योजना के स्थल यथा- बाराबंकी का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएंगे।

उपर्युक्तानुसार हुए विचार-विमर्श/निर्णय के बाद बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

श्रीप्रकाश सिंह
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-4733/नौ-5-2011-108सा/09
लखनऊ :: दिनांक : 10 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।